प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– 21 अक्टूबर, 2021

विषयः **मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधीन गठित अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को उनकी घरेलू सहायता हेतु "गृह अर्दली भत्ता" (Home orderly allowance) अनुमन्य किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2569/UHC/AdminB/XVI, दिनांक 03.06.2021 एवं पत्र संख्याः 4145/UHC/AdminB/Misc दिनांक 25.08.2021 व पत्र संख्याः 4667/UHC/AdminB/Misc दिनांक 24.09.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधीन गठित अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की घरेलू सहायता हेतु द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निम्नांकित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार 'गृह अर्दली भत्ता' **(Home orderly allowance)** दिनांक 01.11.2021 से स्वीकृत/अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

पदनाम	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गयी संस्तुतिनुसार गृह अर्दली भत्ता की अनुमन्य दर
1	2
जिला न्यायाधीश/ अपर जिला न्यायाधीश (HJS कैडर)	रू0 10000/– प्रतिमाह
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	रू0 7500/– प्रतिमाह
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	रू0 7500/– प्रतिमाह

2– जिन अधिकारियों को घरेलू सहायता हेतु ग्रुप–डी (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों की सुविधा विभागीय स्तर से प्राप्त हो रही है उन्हें पूर्व में प्राप्त कर्मचारियों की सुविधा प्राप्त करते रहने अथवा 'गृह अर्दली भत्ता' किसी एक सुविधा को प्राप्त करने का विकल्प होगा।

3– जिन न्यायिक अधिकारियों को घरेलू सहायता हेतु अन्य कोई भत्ता या सुविधा प्राप्त हो रही है तो उन्हें पूर्व में अनुमन्य भत्ता या सुविधा को प्राप्त करते रहने अथवा उक्त 'गृह अर्दली भत्ता' किसी एक को प्राप्त करने का विकल्प होगा।

4– 'गृह अर्दली भत्तें' **(Home orderly allowance)** का भुगतान सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों को SNJPC की संस्तुति के अनुसार स्व–प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन के साथ ही प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

क्रमशः 2/–

Scanned by CamScanner

5– उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04, लेखाशीर्षक '2014–न्याय प्रशासन–00–मतदेय–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन न्यायाधीश' के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 559/xxvii(7)/2021, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्याः —— /XXXVI(2)–14(विविध)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–5 एवं 7/कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सयन सिंह)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner